"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 149] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 मई 2010—वैशाख 31, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 मई 2010

क्र. 5297/118/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13-05-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 11 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) अधिनियम, 2010

विषय सूची

खण्ड :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. हिंसा का प्रतिषेध.
4. शास्ति.
5. अपराध का संज्ञान.
6. सम्पत्ति की हानि या क्षति कारित करने के लिए प्रतिकर भुगतान का दायित्व.
7. चिकित्सीय उपेक्षा से पीड़ित की सहायता तथा सलाह के लिए प्राधिकरण.
8. अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं.
9. नियम बनाने की शक्ति.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 11 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) अधिनियम, 2010

छत्तीसगढ़ राज्य में चिकित्सा सेवकों के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम तथा चिकित्सा सेवा संस्थानों की सम्पत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम हेतु तथा उनसे संसक्त अथवा उनके आनुषंगिक विषयों को उपबंधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) यह अधिनियम "छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) अधिनियम, 2010" कहलाएगा. — संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— — परिभाषाएं.

(क) "चिकित्सा व्यवसाय" से अभिप्रेत है, व्यवसाय जिसमें सम्मिलित है, चिकित्सा की समस्त विधाएं तथा सहचिकित्सा विज्ञान जैसे— ऐलोपैथी, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष), दन्त चिकित्सा, नर्सिंग तथा फिजियोथेरेपी;

(ख) "चिकित्सा सेवा संस्थान" से अभिप्रेत है, वे संस्थान जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन लोगों को या तो चिकित्सा सेवा संस्थान या चलित चिकित्सा इकाई के माध्यम से या चिकित्सा परीक्षण शिविर लगाकर चिकित्सा सेवा प्रदान करते हों, अथवा बीमारी के इलाज हेतु सुविधाएं तथा उनका प्रवेश या रोक हेतु प्रयुक्त कोई निजी अस्पताल, कोई निजी प्रसूति गृह, जहां प्राय: महिलाओं को प्रसव पूर्व, शिशु के जन्म या उससे संबंधित किसी बात सहित प्रसव पश्चात् देखभाल के प्रयोजन हेतु रखा जाता हो तथा वास सुविधा दी जाती हो या कोई निजी नर्सिंग होम जो किसी बीमारी, चोट या नि:शक्तता, चाहे वह शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों को प्रविष्ट करने तथा वास सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता हो अथवा उपयोग किये जाने के लिए आशयित हो तथा उपचार या नर्सिंग या दोनों उपलब्ध कराते हों तथा उनमें स्वास्थ्योन्मुख गृह इत्यादि भी शामिल हैं;

(ग) चिकित्सा सेवा संस्थान के संबंध में "चिकित्सा सेवक" से अभिप्रेत है, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, (अस्थायी पंजीयन धारक सहित) पंजीकृत नर्स, चिकित्सा छात्र, नर्सिंग छात्र तथा सह चिकित्सा कार्यकर्ता तथा इसमें सम्मिलित हैं ऐसी संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित तथा कार्यरत कोई व्यक्ति;

(घ) "चलित चिकित्सा इकाई" से अभिप्रेत है, चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रयुक्त चिकित्सा उपस्कर सहित उपस्कृत एम्बुलेंस;

(ङ) "अपराधी" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति, जो या तो स्वयं या व्यक्तियों के समूह या संगठन के सदस्य या नेता के रूप में इस अधिनियम के अधीन हिंसा करता है या करने का प्रयास करता है या करने हेतु दुष्प्रेरित करता है;

(च) ''सह चिकित्सा कार्यकर्ता'' से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जो चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने वाले चिकित्सा सेवकों की सहायता करता हो;

(छ) ''सम्पत्ति'' से अभिप्रेत है, किसी चिकित्सा सेवक या चिकित्सा सेवा संस्थान के स्वामित्व की या कब्जे की या नियंत्रणाधीन अचल या चल सम्पत्ति या चिकित्सा उपस्कर या चिकित्सा मशीनरी;

(ज) ''छात्र'' से अभिप्रेत है, छात्र जो चिकित्सा व्यवसाय की किसी विधा में प्रशिक्षण ले रहा हो या अध्ययनरत हो;

(झ) ''हिंसा'' से अभिप्रेत है, ऐसा कार्य जो चिकित्सा सेवक को कोई शारीरिक अपहानि, क्षति या उसके जीवन को संकटापन्न करता है या कर सकता है या किसी चिकित्सा सेवक को ऐसे चिकित्सा सेवक के रूप में कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान आपराधिक अभित्रास, बाधा कारित करता है या चिकित्सा सेवा संस्थान में सम्पत्ति को क्षति या हानि कारित करता है.

हिंसा का प्रतिषेध.

3\. चिकित्सा सेवक के विरुद्ध हिंसा अथवा चिकित्सा सेवा संस्थान की सम्पत्ति की क्षति या हानि का कोई कृत्य प्रतिषिद्ध होगा.

शास्ति.

4\. कोई अपराधी जो धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में हिंसा का कोई कृत्य करता है, या करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरित करता है, तो उसे कारावास से दण्डित किया जाएगा जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, तथा जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा.

अपराध का संज्ञान.

5\. इस अधिनियम के अधीन कारित कोई अपराध, संज्ञेय, जमानतीय तथा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा.

सम्पत्ति की हानि या क्षति कारित करने के लिए प्रतिकर भुगतान का दायित्व.

6\. (1) धारा 4 में विनिर्दिष्ट दण्ड के अतिरिक्त, अपराधी सम्पत्ति को पहुंचाई गई क्षति या हानि की दुगनी रकम के बराबर प्रतिकर भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि धारा 5 में निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाए;

(2) यदि अपराधी द्वारा उप-धारा (1) के अधीन अधिरोपित प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी.

चिकित्सीय उपेक्षा से पीड़ित की सहायता तथा सलाह के लिए प्राधिकरण.

7\. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, चिकित्सीय उपेक्षा अथवा कुप्रबंधन के पीड़ितों की शिकायतों पर सुनवाई तथा जांच करने तथा इसके निष्कर्षों के आधार पर पीड़ितों को सहायता एवं सलाह देने हेतु ऐसे क्षेत्र के लिए प्राधिकरण स्थापित करेगा जैसा कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए;

(2) प्राधिकरण में चिकित्सा, विधि, उपभोक्ता मामले तथा स्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र से विशेषज्ञ सम्मिलित किये जाएंगे;

(3) उप-धारा (2) में दर्शित विशेषज्ञों की सेवा की शर्तें तथा प्राधिकरण द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए.

अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं.

8\. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे तथा उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे.

नियम बनाने की शक्ति.

9\. राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी.

राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा.

रायपुर, दिनांक 19 मई 2010

क्र. 5297/118/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 11 of 2010)

THE CHHATTISGARH MEDICARE SERVICE PERSONS AND MEDICARE SERVICE INSTITUTIONS (PREVENTION OF VIOLENCE AND DAMAGE OR LOSS TO PROPERTY) ACT, 2010

TABLE OF CONTENTS

Sections :—

1. Short title, extent and commencement.

2. Definitions.

3. Prohibition of violence.

4. Penalty.

5. Cognizance of offence.

6. Liability to pay compensation for the loss or damage caused to property.

7. Authority to aid and advice victim of medical negligence.

8. Act not in derogation of any other law.

9. Power to make rule.

CHHATTISGARH ACT
(No. 11 of 2010)

THE CHHATTISGARH MEDICARE SERVICE PERSONS AND MEDICARE SERVICE INSTITUTIONS (PREVENTION OF VIOLENCE AND DAMAGE OR LOSS TO PROPERTY) ACT, 2010

An Act to provide for the prevention of violence against Medicare Service Persons and prevention of damage or loss to property of Medicare Service Institutions in the State of Chhattisgarh and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State Chhattisgarh in the Sixty first year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage or Loss to Property) Act, 2010.

(2) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by Notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

(a) "Medical Profession" means profession including all the branches of medical and paramedical sciences, viz. Allopathy, Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH) Dentistry, Nursing and Physiotherapy.

(b) "Medicare Service Institution" means an institution, providing Medicare service to people either in Medicare Service Institution or through Mobile Medicare Unit or by arranging medical checkup camps, under the control of the Central Government/State Government/a local body or any private hospital having facilities for treatment of the sick and used for their reception or stay in any private maternity home, where women are usually received and accommodated for the purpose of confinement and ante-natal and post-natal care in connection with the child birth or anything connected therewith, and any private nursing home used or intended to be used for the reception and accommodation of person suffering from any sickness, injury or infirmity, whether of body or mind, and providing of treatment or nursing or both of them and includes convalescent home, etc;

(c) "Medicare Service Person" in relation to Medicare Service Institution means a Registered medical practitioner (including provisional registration holder), a registered nurse, a medical student, a nursing student and a paramedical worker and includes any person directly or indirectly employed and working in such institution;

(d) "Mobile Medical Unit" means an ambulance equipped with medical equipment, used for providing Medicare services;

(e) "Offender" means any person, who either by himself or as a member or leader of a group of persons or organization commits or attempts to commit or abets the commission of violence under this Act;

(f) "Para Medical Worker" means a person, who assists the Medicare Service Person Providing Medicare services;

(g) "Property" means any property, movable or immovable or medical equipment or medical machinery owned by or in possession of, or under the control of any Medicare Service Person or Medicare Service Institution.

(h) "Student" means a student, who is undergoing training or studies in any branch of medical profession;

(i) "Violence" means an act which causes or may cause any physical harm, injury or endangering the life or Medicare Service Person or criminal intimidation, obstruction to any Medicare Service Person in the discharge of his duty as a Medicare Service Person or causing damage or loss to the property in a Medicare Service Institution.

Prohibition of violence.

3. Any act of violence against a Medicare Service Person or damage or loss to the property in a Medicare Service Institution, shall be prohibited.

Penalty.

4. Any offender, who commits or attempts to commit or abets the commission of any act of violence in contravention of the provisions of Section 3, shall be punished with imprisonment which may extend to three years and shall also be liable to fine which may extend to fifty thousand rupees.

Cognizance of offence.

5. Any offence committed under this Act, shall be cognizable, bailable and triable by the Court of Judicial Magistrate of the First Class.

Liability to pay compensation for the loss or damage caused to property.

6. (1) In addition to the punishment specified in Section 4, the offender shall be liable to pay compensation of twice the amount of damage or loss caused to the property, as may be determined by the Court referred to in Section 5.

(2) If the offender has not paid the compensation imposed under sub-section (1), the same sum shall be recovered as if it were an arrear of land revenue.

Authority to aid and advice victim of medical negligence.

7. (1) The State Government shall by Notification in the Official Gazette, establish the Authority for the area as may be specified in such notification, to hear and inquire into the grievances of victims of medical negligence or mismanagement and aid or advice the victims on the basis of its findings.

(2) The Authority shall consist of experts from the field of medical, law, consumer movement and health management.

(3) The conditions of service of the experts mentioned in sub-section (2), and the procedure to be followed by the Authority shall be such as may be specified by the State Government by an order in this behalf.

Act not in derogation of any other law.

8. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

Power to make rule.

9. The State Government may, by notification make the rules to carry out the provisions of this Act.

Every rule made under this act by the State Government shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State legislature.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 335] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2016— भाद्रपद 11, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2016

क्रमांक 8337/डी. 218/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 08-08-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 30 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) अधिनियम, 2010 (क्र. 11 सन् 2010) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 3 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) अधिनियम, 2010 (क्र. 11 सन् 2010) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"**3. शास्ति.** - (1) जो कोई, चिकित्सा सेवा संस्थान के किसी चिकित्सा सेवक के कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उसके जीवन को संकटापन्न या उसे कोई हानि, क्षति, आपराधिक अभित्रास, बाधा या अवरोध या सम्पत्ति जो 1000/- रुपये से अधिक हो की हानि, कारित करता है, वह हिंसा का कृत्य करता है जो इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा.

(2) जो कोई, या तो स्वयं या किसी व्यक्तियों के समूह या संगठन का सदस्य के रूप में या नेतृत्व करते हुए, अपराध कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण या उद्दीपन करता है, तो ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, से दंडित किया जायेगा तथा नुकसान किये गये चिकित्सा उपकरण के क्रय मूल्य की वास्तविक राशि तथा किसी सम्पत्ति को कारित हानि के लिए, ऐसी शास्ति के लिए भी दायी होगा, जैसा कि सक्षम न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाये."

धारा 4 का विलोपन.

3. मूल अधिनियम की धारा 4 का लोप किया जाये.

धारा 5 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 5 में, शब्द "जमानतीय" के स्थान पर, शब्द "अजमानतीय" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2016

क्रमांक 8337/डी. 218/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की संख्यक अधिसूचना दिनांक 02-09-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 30 of 2016)

THE CHHATTISGARH MEDICARE SERVICE PERSONS AND MEDICARE SERVICE INSTITUTIONS (PREVENTION OF VIOLENCE AND DAMAGE OR LOSS TO PROPERTY) (AMENDMENT) ACT, 2016

An Act to amend the Chhattisgarh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage or Loss to Property) Act, 2010 (No. 11 of 2010).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage or Loss to Property) (Amendment) Act, 2016. **Short title, extent and commencement.**

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. For Section 3 of the Chhattisgarh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage or Loss to Property) Act, 2010 (No. 11 of 2010) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely :- **Amendment of Section 3.**

"**3. Penalty.-** (1) Whoever, endangers the life of or causes any harm, injury, intimidation, obstruction or hinderance to any medicare service person in the discharge of duty or damage in excess of Rs. 1000/- to any property in medicare service institution, commits an act of violence which shall be an offence under this Act.

(2) Whoever, either by himself or as a member or as a leader of group of persons or organization commits or attempts to commit or abets or incites the commission of offence, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to penalty of actual amount of purchase price of medical equipment damaged and loss caused to any property as may be determind by the Competent Court."

3. Section 4 of the Principal Act shall be omitted. **Omission of Section 4.**

4. In Section 5 of the Principal Act, for the word "bailable", the word "non-bailable"shall be substituted. **Amendment of Section 5.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.